		की तामील में जारी हुए
5/5/25	[illegible] ....उपस्थित साबिक आदेश दिनांक.......... की पालना में पत्रा वी वास्ते...... बहस प्रार्थना पत्र दिनांक...... 6/5/25 ......को पेश हो। खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर	
6/5/25	वकुलाय ....उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक.......... की पालना में पत्रा वी वास्ते...... बहस प्र.RTA पत्र दिनांक.....19/5/25 ......को पेश हो। बहस पूर्ण आदेश खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर	
19/5/25	वकुलाय ....उपस्थित। साबिक आदेश दिनांक.......... की पालना में पत्रा वी वास्ते...... [illegible] प्रारम्भ आदेश दिनांक.... 27/5/25 ......को पेश हो। समय अभाव के कारण आदेश नहीं लिखवाया गया। खण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर	
27/5/25	वकुलाय उप. प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बार RTA साबित होने के कारण स्वीकार कर ता दावा [illegible] किया जाता है की पत्रावली जारी स्थगन से पावंद किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल मिसल किया गया। पत्रावली लोगत शुमार होकर दर्ज नम्बर से [illegible] मूल वार्ड के साथ- [illegible] SDM	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 2 / 66 / 2024 दायर दिनांकः– 09 / 07 / 2024

जीसीएमएस नं0:– 2024 / 359 निर्णय दिनांकः– 27 / 06 / 2025

बउनवान

1. गीता पत्नी जगदीश जाति खाती निवासी जहाडू तहसील कठूमर जिला अलवर।

_____ सायला

बनाम

1. नत्थू पुत्र कन्हैया जाति खाती निवासी जहाडू तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक कठूमर तहसील कठूमर

_____ गैरसायलान

प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपस्थितिः–1. सुभाषचन्द अर्रवा– अधिवक्ता प्रार्थीगण
2.भीमसिंह राणा–अधिवक्ता अप्रार्थी

–:निर्णयः–

सायला द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संक्षिप्त तथ्य के इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 81, 268, 269, 91, 92, 687, 688, 689, 690, 100, 101, 102, 109 ग्राम जहाडू व खसरा नम्बर 1914 / 1965 ग्राम भनोखर तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रेकार्ड में सायला एंव गैरसायल एंव अन्य साझीदारान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। विवादित आराजी पर सायला एंव गैरसायल एंव शामलात में काबिज रहकर काश्त कर रहे है। सायला का विवादित आराजी में मुताविक हिस्सा है तथा शेष गैरसायल एंव अन्य प्रतिवादीगण की शामलात कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। सायला एंव गैरसायल के मध्य आपस में सम्बन्ध खराब हो गये है मनमुटाव हो गया है जिस कारण अब सायला एंव गैरसायल के मध्य विवदित आराजी पर शामलात में काश्त करना संभव नहीं है। सायला ने गैरसायलान से विवादित आराजी के कानूनी तकासमा बाबत कहा तो गैरसायल ने

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

साफ इन्कार कर दिया। विवादित आराजी राजस्व रेंकार्ड में शामलात खातेदारी में दर्ज है गैरसायल ने सायला को धमकी दी है कि हम विवादित आराजी का राजी खुसी तकासमा नहीं करायेगें और तुझें विवादित आराजी पर तेरे हिस्से पर शामलात में काश्त नही करने देगें तथा विवादित आराजी का कानूनी तकासमा कराये विना ही गैरसायल सं0 2 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय कर देगें जवकि गैरसायलान को ऐसा करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। यदि गैरसायलान अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो सायला तवाह एंव वर्वाद हो जावेगी दीगर मुकदमा बाजी वढेगी जिससे सायला को अपार हानि होगी जिसकी पूर्ति पैसों में संभव नहीं है। अतः सायला ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर गैरसायलान को ता फैसला दावा पाबन्द कराने का निवेदन किया है।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर की जाकर गैरसायलान को जरिये नोटिस तलब किया गया।

गैरसायल सं0 1 ने जबाव प्रार्थना पत्र पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी की पक्षकारान ने अपनी अपनी सुविधानुसार सहमति से काफी समय पहले घरू बंटवारा कर लिया था मुताविक घरू बंटवारा विवादित आराजी पर सायला एंव गैरसायल व अन्य प्रतिवादीगण काबिज रहकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी अवट ना होकर मौके पर वहामी तौर पर वंटी हुई है। मुताविक घरू बंटवारा शांति पूर्वक काश्त हो रही है। यदि विवादित आराजी का मौके के वहामी बंटवारा व कब्जा के अनुसार बंटवारा कर दिया जाता है तो गैरसायल का ऐतराज नही है। सायला को किसी तरह का नुकशान व क्षति नहीं होती है। गैरसायल ने सायला का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने का निवेदन किया है।

सायला ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2075 से 2078 वाके ग्राम जहाडू व भनोखर की छाया प्रति पेश की है। जो शामिल पत्रावली है।

हमने पत्रावली के तथ्यों प्रस्तुत राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। उपभय पक्षकारान के अधिवक्तागण की बहस सुनी। सायला को प्रार्थना पत्र में सफलता प्राप्त करने के लिये निम्न तीन बिन्दुओं को अपने पक्ष में सावित करना है –

1. **प्रथम दृष्टा केस**
2. **सुविधा का सन्तुलन**
3. **ना पूर्ति होने वाली क्षति**

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

विद्वान अधिवक्ता सायला ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को ही दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी सायला एंव गैरसायल सं0 1 व अन्य प्रतिवादीगण की शामलात खातेदारी में दर्ज है। जो अवट आराजी है जिसका कानूनी तकासमा नहीं हुआ है लेकिन अब गैरसायल विवादित आराजी पर सायला के शामलात काश्त करने में बाधा पैदा करते है तथा विना तकासमा कराये दीगर लोगों को रहन वय करना चाहते है। यदि गैरसायलान ने ऐसा कर दिया तो सायला को अपार हानि व असुविधा तथा क्षति होगी जिसकी पूर्ति किसी भी तरह संभव नहीं है। इस वजह से गैरसायलान को पाबन्द किया जाना जरूरी है।

अधिवक्ता गैरसायल सं0 1 ने अपनी बहस में अपने जबाव प्रार्थना पत्र के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विवादित आराजी काफी समय से वंटी हुई है जो अवट ना होकर वंटी है तथा मुताविक घरू बंटवारा काश्त हो रही है। केवल राजस्व रिकार्ड में शामलात खातेदारी की दर्ज है। मुताविक कब्जा व घरू बंटवारा विवादित आराजी का बंटवारा करने में गैरसायल की सहमति है। प्रार्थना पत्र सायलान खारिज किया जावे।

प्रथम दृष्टा केसः– हमने पत्रावली के तथ्यों सायला ने अपने प्रार्थना पत्र को सावित करने के लिये जमाबन्दी हाल की छाया प्रति पेश की है। जमाबन्दी हाल में विवादित आराजी सायला एंव गैरसायल व अन्य साझीदारान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थना पत्र के तथ्यों, जबाव प्रार्थना पत्र व प्रस्तुत जमाबन्दी का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्तागण पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सायला द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी के अवलोकन से यह सावित है कि विवादित आराजी सायला गैरसायल एंव अन्य साझीदारान की शामलात खातेदारी में दर्ज है। अतः विवादित आराजी सायला, गैरसायल एंव अन्य साझीदारान की शामलात खातेदारी मे दर्ज होने से उक्त आराजी का अवट व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। सायला विवादित आराजी की हिस्सानुसार सहखातेदार दर्ज है। जिस कारण गैरसायल को सायला के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करने व विना तकासमा रहन वय करने का अधिकार नहीं है। विवादित आराजी का घरू वंटवारा हो रहा हो इस तरह का कोई प्रमाणित दस्तावेज पेश नहीं किया है। यदि गैरसायलान को पाबन्द नहीं किया गया तो गैरसायल सायला के कब्जे काश्त में बाधा पैदा कर सकता है तथा रहन वय कर सकता है। जिससे सायला को नुकशान होने का अनुमान किया जाता है। अतः प्रथम दृष्टा केस सायला के पक्ष में सावित होता है।

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सुविधा का सन्तुलनः—सायला द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दियों में विवादित आराजी सायला एंव गैरसायल व अन्य सहखातेदारान की खातेदारी में दर्ज है। गैरसायल का कथन कि उक्त आराजी मौके पर वंटी हुई है जिस सम्बन्ध में गैरसायल ने कोई दस्तावेज पेश नही किया है यदि गैरसायल को पाबन्द नहीं किया गया तो सायला को असुविधा होना संभव है। अतः सुविधा का सन्तुलन भी सायला के पक्ष में प्रतीत होता है।

ना पूर्ति होने वाली क्षतिः— विवादित आराजी सायला एंव गैरसायलान की खातेदारी में दर्ज है। सायला विवादित आराजी की खातेदार काश्तकार है विवादित आराजी का अवट होने व शामलात में काश्त करने का अनुमान किया जाता है। यदि गैरसायल ने सायला के कब्जे काश्त में बाधा पैदा की या विना तकासमा रहन वय कर दिया तो ना पूर्ति होने वाली क्षति सायला को होना संभव है। अतः ना पूर्ति होने वाली क्षति भी सायला के पक्ष में प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचन से प्रथम दृष्टा केस सुविधा का सन्तुलन एंव ना पूर्ति होने वाली क्षति तीनों बिन्दु सायला के पक्ष में सावित हैं।

—:आदेशः—

अतः प्रार्थना पत्र सायला स्वीकार किया जाकर गैरसायलान को ता फैसला दावा अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वो आराजी खसरा नम्बर 81, 268, 269, 91, 92, 687, 688, 689, 690, 100, 101, 102, 109 ग्राम जहाडू व खसरा नम्बर 1914/1965 ग्राम भनोखर तहसील कठूमर के रिकार्ड एंव मौका की यथास्थिति बनाये रखें तथा पत्रावली पर जारी स्टे आदेश दिनांक 09.07.2024 को मूल दावा के निस्तारण तक कनफर्म किया जाता है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो वो मूल वाद के साथ संलग्न हो।

निर्णय आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर, अलवर